

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र संख्या-9/उपा०कीट०अनु०-45/2005-

/कृ०, पटना, दिनांक

मई, 2015.

प्रेषक,

धर्मेन्द्र सिंह, भा०प्र०से०
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री सतीश मल्लिक,
मेसर्स एक्सल क्रॉप केयर लि०
C/O- हरनाथका कारपोरेशन, आदित्या आरकेट,
H/O चितरंजन प्रसाद यादव, जकरियापुर
कृष्णा निकेतन स्कूल के पीछे, बाईपास रोड
बिहार, पटना-800020,

विषय :- कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या 39 दिनांक 25.07.2000 एवं अनुज्ञप्ति संख्या-59 दिनांक 17.02.1997 का नवीकरण करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन पत्र, कोषागार चालान, एवं उप निदेशक, पौधा संरक्षण, पटना प्रमंडल, पटना द्वारा समर्पित स्थल जाँच प्रतिवेदन के आधार पर कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 एवं आदेश 1986 के निहित प्रावधानों के आलोक में निम्नलिखित कीटनाशियों का उनके प्रिंसिपल सर्टिफिकेट एवं विनिर्माण अनुज्ञप्ति की वैधता के आधार पर 31.12.2016 तक के लिए नवीकृत किया जाता है।

क्र०सं०	कीटनाशी का नाम	क्र०सं०	कीटनाशी का नाम
1	Atrazine 50%WP	13	Fenpyroximate 5% EC
2	Tebuconazole 25.9% W.G.	14	Profenophos 40%+Cypermethrin 4% EC
3	Trichoderma harzianum 1%WP	15	Sulphur 80% WP
4	Triazophos 40%EC	16	Sulfosulfuron 75% WG
5	Glyphosate 41% SL	17	Acephate 75% SP
6	Zinc Phosphide 80%	18	Cartap Hydrochloride 4% GR
7	Aluminium Phosphide 56% Min	19	Chlorpyrifos 50% EC
8	Profenophos 50% EC	20	Hexaconazole 5% SC
9	Imidacloprid 17.8% SL	21	Paclobutrazole 23% SC
10	Sulphur 80% WDG	22	Pretilachlor 50% EC
11	Ammonium Salt of Glyphosate 71% SG	23	Pendimethalin 30% EC
12	Chlorpyrifos 20% EC		

2- उपरोक्त कीटनाशियों का भंडारण प्रतिष्ठान द्वारा कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, के विहित प्रावधानों के अधीन निम्नांकित भंडार स्थल पर किया जायेगा- मेसर्स एक्सल क्रॉप केयर लि० C/O- हरनाथका कारपोरेशन, आदित्या आरकेट, H/O चितरंजन प्रसाद यादव, जकरियापुर कृष्णा निकेतन स्कूल के पीछे, बाईपास रोड बिहार, पटना-800020,

3-यह आदेश दिया जाता है कि प्रदत्त कीटनाशियों की बिक्री/भंडारण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाय।

4 अनुज्ञप्ति प्राप्त कीटनाशियों के अलावा अन्य कीटनाशी की बिक्री/ भंडारण/विपणन एवं वितरण सर्वथा वर्जित होगा।

5-भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। अमानक कीटनाशी पाये जाने पर उक्त कीटनाशी की बिक्री/भंडारण तुरंत बंद कर देना होगा।

W

6-अपने प्रतिष्ठान का मासिक प्रतिवेदन नियमानुसार कृषि निदेशक/संयुक्त कृषि निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना तथा संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को ससमय भेजे।

7-नियम 10 बी0 के तहत सल्फर के लिए अलग से बिक्री पंजी का संधारण करना होगा तथा चोरी होने पर निकटतम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करना होगा।

8-अमानक/मिलावटी/नकली कीटनाशी पाये जाने पर विनिर्माता, राज्य में उनके कन्साइनमेंट एजेंट/बिक्रय प्रतिनिधि एवं बिक्रेता के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(धर्मेन्द्र सिंह)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 2259

/कृ0, पटना, दिनांक 16 मई, 2015.

प्रतिलिपि- (1) संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (उपादान), बिहार, पटना/सहायक निदेशक (सांख्यिकी), बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) आई0 टी0 मैनेजर, कृषि विभाग बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।